संख्या-46/60-2-18-2/3(6)13टी.सी.

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2018

विषय :अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-901/बा0वि0परि0/रा0पो0मि0/2018-19 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 56 जनपदों की कुल 655 बाल विकास परियोजनाओं हेतु 126818 इन्फैन्टोमीटर (02 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लम्बाई मापने हेतु), 126818 स्टेडियोमीटर (बच्चों की ऊंचाई मापने हेतु), 126818 शिशु की वजन मशीन तथा 126818 मां एवं बच्चे की वजन मशीन का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(5) उक्त सामग्री के क्रय पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-46(1)/60-2-18-2/3(6)13टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।